न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 18/2026 बउनवानी सत्यनारायण महाजन **बनाम** सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर पुत्र रामलाल महाजन निवासी लिंक रोड़ नई अनाजमण्डी के सामने आलनपुर

GCMS No-2026/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 17.12..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास,सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **ग्राम कुस्तला के मूल ख0न0 686 के ख0न0 686/5227, 686/5229, 686/5228, एवं 6151/686,6152/686 को लेकर कुल 8 बिन्दुओं की प्रमाणित प्रति** " सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः निविन्या/सू.का.अ/2025/305 दिनांक 3.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध तृतीय पक्ष की मानते हुए उसकी सहमति के बिना सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 27 दिनांक 2.1.2026 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,5 की सूचना उपलब्ध करवायी जानी चाहिए जो नही करवायी गयी है इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 3,4 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है। बिन्दु संख्या 6,7 मे चाही गयी सूचनाओं का अपीलान्ट को अवलोकन करवाया जाना उचित समझते है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1,2,5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे तथा बिन्दु संख्या 6,7 की सूचना से संबंधित दस्तावेजो का अपीलान्ट को अवलोकन करवाया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर